(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(DEVELOPMENT DEPARTMENT)

DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING

49, ALIPUR ROAD, OLD SECTT., DELHI110 054

No.F.8/35/2003/DAM/MR/(i)/83 Dated: 7th January, 2004

NOTIFICATION

No.F.8/35/2003/DAM/MR/(i)- Whereas the Fruit and Vegetable Market, Azadpur, Delhi is one of the biggest fruit and vegetable markets of Asia which has handled a total arrival of fruits and vegetables of the order of 41 lakh tonnes in 2002-03 and more than 90% of the arrivals were from outside Delhi and other States comprising the states of Jammu & Kashmir and Himachal Pradesh with respect to apples, Maharashtra with respect to bananas and Uttar Pradesh with respect to mangoes and in relation to vegetables, the states of Uttar Pradesh and Punjab with respect to potatoes, Rajasthan and Maharashtra with respect to onions and Madhya Pradesh and Maharashtra with respect to tomatoes; and whereas it influences prices at the national level as more than 40 lakh tonnes of fruits and vegetables is received from as many as 15 States from all parts of India which is indicative of the attractiveness of the prices obtaining in the Fruit and Vegetable Market at Azadpur, Delhi;

AND WHEREAS the term of office of the Market Committee constituted under section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing Regulation Act 1998 (Delhi Act 7 of 1999) vide Notification NO.F.4/47/82/DAM/MR/Vol.III/5079 dated 29.12.2000 has expired on 28.12.2003;

AND WHEREAS the Government of National Capital Territory of Delhi is satisfied that on account of the national importance of marketing of agricultural produce at the Fruits and Vegetable Market, Azadpur, Delhi, it is expedient to ensure the efficient regulation of the marketing of the said agricultural produce by declaring / establishing it as a special market, known as "Market of National of Importance";

NOW THEERFORE on overall consideration of all facts, the Lt. Governor of the Natinal Capital Territory of Delhi is pleased to declare / establish the Fruit and Vegetable Wholesale Market, Azadpur, Delhi as a Market of National Importance in terms of the provisions of sub-section (2) of section 26 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act 7 of 1999).

The market area, yards / sub yards of Agricultural Produce Marketing Committee (Market of National Importance) Azadpur, Delhi would be the same as of the Agricultural Produce Marketing Committee, Azadpur, Delhi and all items of agricultural produce would be the same as already declared in the Schedule of items of Agricultural Produce Marketing Committee, Azadpur, Delhi.

By order and in the name of
The Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi

sd/-

(X.K. MAHTO)
Special Secretary (Development)

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किये जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विकास विभाग)
कृषि विपणन निदेशालय,
49, अलीपुर रोड़, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 54

68

सं0.फा.8/35/2003/कृ.वि.नि./एम.आर.(I) 83 दिनाक: 07 जनवरी, 2004

अधिसूचना

सं.फा.8/35/2003/कृ.वि.नि./एम.आर.(I)

जैसा कि फल एवं सब्जी मण्डी, आजादपुर, दिल्ली, एशिया की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मण्डियों में से एक है, जिसमें वर्ष 2002-03 में लगभग 41 लाख टन फल और सब्जियों की आवक थी और उसमें से 90 प्रति0 से अधिक आवक दिल्ली से बाहर की थी जिसमें सेब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों से, केला महाराष्ट्र से, आम उत्तर प्रदेश से तथा सब्जियां आलू, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब से, प्याज राजस्थान एवं महाराष्ट्र से, टमाटर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से आया; और जैसा कि फल एवं सब्जी मण्डी, आजाद पुर, दिल्ली, में भारत के सभी भागों के लगभग 15 राज्यों से 40 लाख टन फल एवं सब्जी प्राप्त होती है और यहां इनके प्रचलित भाव, इस बात का द्योतक कि ये राष्ट्रीय स्तर पर अपना मूल्य प्रभाव डालते हैं;

और जैसा कि कृषि उपज विपणन समिति, आजाद पुर, दिल्ली, की विपणन समिति का गठन, दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 36 के अंतर्गत अधिसूचना सं0.4/47/82/डीएएम/एमआर/खण्ड-3/5079 दिनांक 29.12.2000 द्वारा किया गया और उसका कार्यकाल दिनांक 28.12.2003 को समाप्त हो गया है;

और जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि फल एवं सब्जी मण्डी, आजाद पुर, दिल्ली, में कृषि उत्पाद के विपणन के राष्ट्रीय महत्त्व को देखते हुए, इन कृषि उत्पादों के विपण्न के सक्षम विनियमन को सुरक्षित करने हेतु इसे एक विशेष मण्डी, जिसे 'राष्ट्रीय महत्व की मण्डी' के रुप में घोषित/स्थापित करना आवश्यक समझती है;

अतः अब सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सहर्ष दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 26 की उप धारा (2) के अंतर्गत फल एवं सब्जी मण्डी, आजादपुर, दिल्ली, को एक राष्ट्रीय महत्व की मण्डी के रुप में घोषित/स्थापित करते हैं ।

कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मण्डी) आजाद पुर, दिल्ली का मण्डी क्षेत्र यार्ड/सब यार्ड वही होगा जो कृषि उपज विपणन समिति, आजाद पुर, दिल्ली, का था और इसकी कृषि उपज की सभी वस्तुएं वही होंगी जो कृषि उपज मण्डी समिति, आजाद पुर दिल्ली, की अनुसूचि में पहले से घोषित हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(क्षेत्रज्ञ कुमार महतो)
विशेष सचिव (विकास)